



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2016/चैत्र 17, 1938

No. 836]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2016/CHAITRA 17, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

का.आ. 1328(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन खंड) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 अक्टूबर, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "1 दृढ़ वाहन" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 1 के सामने, प्रविष्टि (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii)	दो धुरी यात्री यान पर दो टायर और पिछली धुरी पर चार टायर	16.2	अगली धुरी पर 6 टन, पिछली धुरी पर 10.2 टन
		18.0* (एयर सस्पेंशन के साथ 2 धुरी यात्री यान को लागू) टिप्पण: *यदि स्प्रिंग प्रभाव का कम से कम 75% एयर स्प्रिंग द्वारा कारित होता है तो सस्पेंशन सिस्टम को एयर सस्पेंशन सिस्टम समझा जाएगा।	अगली धुरी पर 6.5 टन, पिछली धुरी पर 11.5 टन
		20.2 [केवल 100 प्रतिशत एयर सस्पेंशन के साथ केवल विमानपत्तन यात्री बस (टरमैक बस) के लिए]	अगली धुरी पर 8.2 टन, पिछली धुरी पर 12.0 टन"

[सं. आरटी-11028/03/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में सं. का.आ. 728(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 41(अ), तारीख 7 जनवरी, 2016 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2016

S.O. 1328(E).—In exercise of the powers conferred by section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (Transport Wing), No. S.O. 728 (E), published in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Sec. 3, Sub-section (ii), dated the 18th October, 1996, namely :—

In the Schedule to the said notification, against serial number I, under the heading “Rigid Vehicles”, for the entry at serial number (iii), the following entry shall be substituted, namely:—

“(iii)	Two axle, two tyres on front axle and four tyres on rear axle	16.2	6 tonnes on front axle 10.2 tonnes on rear axle
		18.0* (applicable for 2 axle passenger vehicle with air suspension) Note: *A suspension system is to be considered as air suspension system if at least 75 per cent of the spring effect is caused by the air spring.	6.5 tonnes on front axle 11.5 tonnes on rear axle
		20.2 [only for the for airport passenger bus (tarmac bus) with 100 per cent air suspension]	8.2 tonnes on front axle 12.0 tonnes on rear axle”

[No. RT-11028/03/2016-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 728(E) dated the 18th October, 1996 and last amended vide notification number S.O. 41(E), dated the 7th January, 2016.